न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—406/2015/223 (2015/00176)

1. दुर्गालाल पुत्र स्व0 केसरा, जाति घोसी, निवासी छावनी ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर जिला अजमेर।
2. तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर , दिनांक 15.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 162/2011.

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शौभापुरा, पटवार हल्का नून्द्री महेन्द्रातान, तहसील ब्यावर में अवस्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 5—19—00 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 23 रकबा 5—13—00 एवं खसरा नंबर 30 का रकबा 00—06—00 बीघा भूमि के इंद्राज दुरूस्ती, हक—खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । वादपत्र दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण ने जवाब हेतु समय चाहा लेकिन जवाब प्रस्तुत न कर दिनांक 15.4.2015 को एक आवेदन पवत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पेश किया । अधी0न्याया0 ने आदेश प्रार्थना पत्र 7 नियम 14 जा0दी0 को निर्णित किये बिना वाद को कैम्प मोडिया में रखकर वादी/अपीलांट के वाद को निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधि

के बाध्यकारी प्रावधानों एवं न्याय नियमों तथा नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पर कोई निर्णय पारित नहीं किया तथा उसे पूर्व भी पत्रावली पर प्रतिवादीगण के जवाबदावे में आदेशिका रही लेकिन न तो उनका कोई जवाब पेश हुआ और न ही उनका जवाब बंद किया गया और न ही अंतिम बहस हेतु कोई आदेशिका ही पारित की गई । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये प्रकरण को कैम्प में रखकर निर्णित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वाद को निरस्त करने का आधार यह लिया कि पूर्व में वाद संख्या 13/1999 दिनांक 24.3.2003 को खारिज किया गया है जिसकी अपील संख्या 130/2003 में न्यायालय हाजा ने अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड करते हएु आदेश दिये कि वादी को आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष राज्य सरकार के परिपत्रों के संदर्भ में नियमन हेतु रखा जाकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 ने उक्त निर्णय का अवलोकन करने के उपरांत बिना रेस्पो0 की ओर से धारा 11 का आवेदन प्रस्तुत किये और कोई ऐतराज किये स्वंय की इच्छा से ही बिना किसी विधिक आधार के धारा 11 का मामला मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है क्योंकि पूर्व निर्णय में प्रकरण को रिमाण्ड किया था जिसमें न्यायालय हाजा ने अंतिम रूप से कोई विचारण नहीं किया था । अधी0न्याया0 को वादी के वाद को निर्णित करने से पूर्व पूर्व वाद को सम्मिलित कर, आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजकीय भूमि है जो पेराफेरी क्षेत्र में आती है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी का वाद रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम उसे निर्णित किया जाना आवश्यक है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा न ही अधी0न्याया0 द्वारा वाद में आवश्यक तनकियात कायम की गई है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर वादी/अपीलांट के वाद को कैम्प कोर्ट में निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जताा है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियानुसार वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर